

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
प्र.इ.रि.स 175/23 दिनांक 5/7/2023
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट - धाराएं 7 एवं 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)
(2) अधिनियम भा.द.स. - 176, 179 एवं 201 आई.पी.सी.
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं -
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 621 समय 7:15 PM
(2) अपराध के घटने का दिन मंगलवार दिनांक 27.06.2023 समय 06:03 पीएम व दिनांक 03.07.2023 समय 07:42 पी.एम
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 27.06.2023 समय करीब 05.00 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक - लिखित
5. घटना स्थल :
(1) थाना/यूनिट से दिशा व दूरी - बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 440 किलोमीटर
(2) पता - भवानी होटल के पास, बस्सी हाईवे, चित्तौड़गढ़, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी बस्सी जिला चित्तौड़गढ़
बीट संख्या जरायमदेही संख्या
- (3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना जिला
6. परिवादी/सूचनाकर्ता -
परिवादी
(1) नाम : - श्री भगवान लाल कुमावत
(2) पिता का नाम : - लेलापत कुमावत
(3) आयु : - 38 वर्ष
(4) राष्ट्रियता : - भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्याजारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह.....
(6) व्यवसाय : - जलाउ लकडी का बैचान करना
(7) पता : - आंवलहेडा, थाना बस्सी, चित्तौड़गढ़
7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
 1. श्री अब्दुल सलीम पुत्र श्री अब्दुल कय्यूम कुरैशी उम्र 47 वर्ष निवासी हाजी हाउस, घोसी मोहल्ला, अनन्तपुरा पुलिस थाना अनन्तपुरा कोटा हाल क्षेत्रीय वन अधिकारी, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी बस्सी जिला चित्तौड़गढ़।
 2. श्री भरतराम मीणा पुत्र श्री जमनालाल मीणा उम्र 35 साल ग्राम मीणों का कंथारिया पोस्ट-जालमपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ हाल वन रक्षक वनपाल नाका पारसोली वन चौकी महेशरा क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्य जीव बस्सी जिला चित्तौड़गढ़
 3. श्री मदनलाल गुर्जर पुत्र श्री कालू लाल गुर्जर उम्र 24 वर्ष निवासी तोरणिया पुलिस थाना पारसोली, जिला चित्तौड़गढ़(प्राईवेट व्यक्ति)
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण : -समय पर सूचना दी गई
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

कम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1	भारतीय चलन मुद्रा	60,000/-	रुपये

आरोपी श्री अब्दुल सलीम द्वारा परिवादी श्री भगवान लाल कुमावत को बिना रोकटोक जलाउ लकडी का परिवहन व बैचान करने देने की एवज में 60,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग कर कार्यालय के टेबल की दराज में रखवाकर ग्रहण करना तथा आरोपी श्री अब्दुल सलीम के नौकर श्री मदनलाल गुर्जर द्वारा आरोपी श्री अब्दुल सलीम के कहेनुसार रिश्वत राशि को टेबल की दराज से निकालना तथा शंका होने पर रूपयो को छुपाने के लिये फौकना, रिश्वत राशि 60,000/- रुपये को बरामद कर हर दोनो आरोपीगणो को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त श्री भरतराम मीणा द्वारा दिनांक 03.07.2023 समय 06:30 पीएम पर को परिवादी से मोबाईल पर वाट्सअप कालिंग वार्ता द्वारा स्वयं के लिये भी रिश्वत की मांग की गई तथा अपने अधिकारी के

लिये भी रिश्वत की मांग कर परिवारी को रिश्वत राशि पुरे 60,000 रूपये लेकर क्षेत्रीय वन अधिकारी बस्सी जिला चित्तौडगढ बुलाया अभियुक्त भरत राम मीणा मोके से फरार है।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 60,000/- रूपये
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ।

विषय :- रिश्वत खोर अधिकारी को पकडवाने बाबत मानवर,

निवेदन है कि, "मैं भगवान लाल पुत्र लेलापत कुमावत निवासी आंवलहेडा का रहने वाला हू। मैं किसानो से उनके खातेदारी जमीन से बबूल सफेदा आदि जलाउ लकडी खरीदता हूँ। इस लकडी को मैं आगे इंट भट्टा, होटल वालो को बेचता हू इन पेडो की लकडियो को काटना गैर कानुनी नही है, फिर भी हमारे इस धन्धे मे वन जीव संरक्षक बस्सी रेंजर सलीम मोहम्मद मुझे से हर महिने 50,000/- रूपये की डिमाण्ड करता है नही देने पर उसने दिनांक 25.05.2023 को मेरी एक पिकअप गाडी जो लकडियो से भरी थी पकड ली मुझसे 1,25,000/- रूपये ले लिया जिनकी मुझे अभी तक रसीद नही दी हैं। जबकि मुझे यह कह कर छोडा था यह सरकारी जुर्बाना है जिस जगह अब मुझे रेंजर सलीम मोहम्मद कह रहा है कि अगर मेरे इलाके (बस्सी से भीचोर) में यह का करना चाहते हो तो मुझे हर महिने 50,000/- रूपया रिश्वत देनी पडेगी। यह व्यक्ति मेरे जैसे कई गरीब लोगो से इसी प्रकार डराकर धमका कर गाडी पकडकर छोडने की एवज में और हर महीने रेगुलर हजारो रूपये की रिश्वत लेता है। यह व्यक्ति इतना लालची है की जंगल की लकडी भी तस्करो को रिश्वत खाकर बेच देता है मेरी इनसे कोई दुश्मनी नही है न ही कोई रंजीस/जलन/नफरत है नही मेरा इनसे रूपयो का कोई उधारी को लेने है नही मेरा कोई इनसे मुकदमें बाजी है। मैं इस रिश्वत खोर अधिकारी को रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ"।

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 27.06.2023 समय 5.00 पीएम पर प्रार्थी श्री भगवान लाल कुमावत पिता श्री लेलापत जाति कुमावत निवासी आंवलहेडा थाना बस्सी चित्तौडगढ उम्र 33 वर्ष पेशा लकडी का धन्धा हाजिर कार्यालय आया और उक्त हस्तलिखित रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मजमून से लोक सेवक श्री सलीम मोहम्मद रेंजर द्वारा अपने पदीय लोक कर्तव्य के सन्दर्भ में असम्यक लाभ प्राप्त करने से संबंधित है जो कि धारा 7 पीसी एक्ट में अपराध की श्रेणी में आता है अतः रिश्वत मांग सत्यापन किया जाना आवश्यक है इसलिये कानि जितेन्द्र सिंह नं. 514 को परिवारी के साथ जाकर गोपनीय तौर पर रिश्वत मांग भलीभांती रिकॉर्ड करने के निर्देश दिये। दिनांक 27.06.2023 समय 07:15 पीएम पर परिवारी श्री भगवान लाल और कानि जितेन्द्र सिंह 514 ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये और परिवारी ने बताया कि, "आपके कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 5:40 पीएम पर हम बस्सी के पास हाईवे पर भवानी होटल पहुंचे। और मेने मोबाईल नंबर 9166175344 से आरोपी श्री सलीम मोहम्मद रेंजर साहब को उनके मोबाईल नंबर 9413353941 पर 05:45 पीएम पर वाट्सअप कॉल किया। जिसमें हुई वार्ता के अनुसार उन्होने 15 मीनट बाद भवानी होटल पहुंचने का कहा। श्री जितेन्द्र सिंह जी ने मेरे को समय 06:03 पीएम पर डिवीआर चालु कर सुपुर्द किया। लगभग 06:10 पीएम पर सलीम जी रेंजर भवानी होटल पहुंचे। उनके पास हमेशा वाली गाडी क्रेटा नहीं थी। वह वाहन संख्या आरजे 06 सीई 4457 टाटा अल्टरोज कार से अकेले ही आये, कार पर आगे नंबर प्लेट पर पार्शद लिखा हुआ था। मुझे कार में बैठने का ईशारा किया और भवानी होटल के पास में ही हाईवे पर साईड में उन्होन कार खडी कर ली। मेरी उनसे कार मे बात हो गई है तथा उन्होने मुझसे कुल साठ हजार रूपये मांगे है। जिसमें नीचे के कर्मचारी मुकेश जी और कमल जी का हिस्सा भी शामिल है। मैने उन्होने अभी एक घण्टे बाद या कल सुबह 11:00 बजे रूपये देने की बात कही है। कार में म्युजिक सिस्टम चल रहा था और हाईवे पर वाहनों के टायर/हार्न की आवाज आ रही थी। मैने रिकार्डिंग के बाद डिवीआर श्री जितेन्द्र सिंह जी को मोके पर ही सौंप दिया।" श्री जितेन्द्र सिंह कानि ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिवीआर सुपुर्द करते हुये बताया कि, "मेने मोके पर भवानी होटल पर खडे रहकर

आरोपी को कार सहित आते देखा जब परिवादी कार के अन्दर गया तो मैंने अपने मोबाईल से कार की पीछे से फोटो भी खींची।" दिनांक 27.06.2023 समय 07:30 पीएम पर उक्त रिकार्ड की गई वार्ता को सुना गया, वार्ता में स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा आरोपी और उनके अधिनस्थ कर्मचारीयों मुकेश व कमल को लगातार रिश्वत दी जा रही है। दिनांक 25.05.2023 को उसकी पिकअप गाडी को पकडकर रिश्वत लिये जाने की भी पुष्टी हो गई। वक्त सत्यापन आरोपी द्वारा साठ हजार रूपये की मांग करने पर परिवादी पचास हजार रूपये तक रिश्वत देने पर सहमत है किन्तु आरोपी श्री सलीम मोहम्मद, रेंजर साठ हजार रूपये की मांग करता है। जिसमें अपने समस्त अधिनस्थ स्टाफ को स्वयं अपने स्तर पर मैनेज करने का आश्वासन भी देता है।

उक्त रिकार्डेड वार्ता के संदर्भ मे परिवादी से पुछने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक 20.05.2023 को सलीम मोहम्मद रेंजर ने परिवादी को लकडी का व्यापार करने के लिये हर माह 50,000 रूपये देने का कहा। पालना में परिवादी ने दिनांक 20.05.2023 को आरोपी सलीम मोहम्मद रेंजर को 5,000 रूपये एवं 21.05.2023 को 20,000 रूपये बस्सी में उनके कार्यालय में दिये। फिर भी दिनांक 25.05.2023 को भगवान लाल परिवादी की पिकअप गाडी नंबर आरजे 09 जीसी 2289 को इनके द्वारा पकड लिया, दिनांक 26.05.2023 को एक लाख रूपये लेकर यह गाडी छोडी गई। गाडी का ड्राईवर पंकज वैष्णव था जिसे रात्रि में तीन बजे गाडी के कागज रखकर छोडा गया। ये एक लाख रूपये सलीम मोहम्मद रेंजर और मुकेश खारोल फोरेस्टर को उनके बस्सी स्थित ऑफिस में दोपहर में दिये गये थे। जिस समय उक्त गाडी पकडी मौके पर नारायण कुमावत, जिवराज, प्रकाश, रामलाल निवासीयान राजपुरा तहसील बैंगू उपस्थित थे। गाडी राजगढ से पिछा कर राजपुरा बस्ती में पकडी थी। परिवादी श्री भगवान लाल ने उसके मोबाईल पर वाट्सअप नामक एप से भरत फोरेस्टर के मोबाईल वाट्सअप एप पर दिनांक 27.06.2023 समय 01:03 पीएम पर हुई वार्ता का एक विडियो अपने मोबाईल से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दिखाया। इस वार्ता को परिवादी के भानजे जुनी शंकर कुमावत पुत्र श्री रतन लाल निवासी आंवलहेडा थाना बस्सी चित्तोडगढ के मोबाईल के केमरे से परिवादी द्वारा शूट किया गया। इस वार्ता में आरोपी श्री सलीम मोहम्मद ओर भरत फोरेस्टर परिवादी को मिलने के लिये कहते है जिस पर परिवादी कहता है कि माल कटा हुआ पडा है, मै उधर गया नहीं था, शाम को आपसे मिल लुंगा, 06:00 बजे के आस-आपस मिलने को बोला। उक्त वार्ता से भी आरोपीगण की रिश्वत लेने की मंशा और पर्यत्न उजागर है। इस ऑडियो-विडीओ की सीडी पेश करने एवं दिनांक 27.06.2023 को आरोपी से की गई वाट्सअप कॉल का स्क्रीन शॉट पेश करने हेतु परिवादी को निर्देश दिया। दिनांक 27.06.2023 समय 08:30 पीएम पर रिकार्डेड वार्ता डिवीआर पुनः सुरक्षित मालखाने में रखवाये गये तथा श्री श्याम लाल हैड कानि को दिनांक 28.06.2023 को होने वाली ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह को पाबंद करने के निर्देश दिये। तथा परिवादी को 60,000 रूपये आरोपी को दी जाने वाली राशि सहित दिनांक 28.06.2023 को समय 9:30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने तथा गोपनीयता बनाये रखने के निर्देश देते हुये रूखसत किया। दिनांक 28.06.2023 समय 03:30 पीएम पर श्री जितेन्द्र सिंह कानि ने बताया कि मैरी परिवादी से मोबाईल पर वार्ता हुई (03:27 पीएम)तो परिवादी ने बताया कि रूपयों की व्यवस्था हो गई है तथा वह 05 मिनट मे ब्यूरो कार्यालय पर आ रहा है । आरोपी के मोबाईल नंबर की लोकेशन मुख्यालय के साईबर सेल से पुछी गई तो आरोपी की लोकेशन कोटा शहर होना ज्ञात हुआ। प्रिन्ट लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया । दिनांक 28.06.2023 समय 03:40 पीएम इस समय परिवादी कार्यालय में उपस्थित है स्वतंत्र गवाहन, परिवादी तथा ब्यूरो स्टाफ का आपस में परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि 60,000 रूपये पेश की। तथा स्वतंत्र गवाहन को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करवा उस पर उनके हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 28.06.2023 समय 04:35 पीएम पर आरोपी श्री सलीम मोहम्मद रेंजर के मोबाईल से परिवादी के मोबाईल पर वाट्सअप कॉल आया। परिवादी के मोबाईल में आरोपी का नंबर Fs Bassi नाम से सेव है। किन्तु फोन कट गया वार्ता नहीं हुई। तुरन्त परिवादी के मोबाईल से आरोपी के मोबाईल पर वाट्सअप कॉल किया गया। आरोपी ने फोन रिसीव किया जिसमें परिवादी साठ हजार रूपये के बारे में बताता है कहां किसको देने है जिस पर आरोपी यह कह कर कि बताता हुं, फोन काट देता है। यह वार्ता फोन के स्पीकर मोड पर की थी जिसे कार्यालय के रिकॉर्डर से रिकार्ड किया गया। दिनांक 28.06.2023 समय 04:45 पीएम पर इस समय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहन एवं परिवादी की उपस्थिति में दिनांक 27.06.2023 को समय 05:45 पीएम पर परिवादी की अपने मोबाईल नंबर 9166175344 द्वारा आरोपी के मोबाईल नंबर 9413353941 पर आरोपी से हुई वाट्सअप कॉलिंग वार्ता जो कार्यालय के डिवीआर में रिकार्ड की गई थी, (चुंकी मोबाईल का स्पीकर ऑन था) उक्त डिवीआर को मालखाने से निकालकर कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट कानि श्री जितेन्द्र सिंह से तैयार करवाई गई। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 28.06.2023 समय 05:30 पीएम पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहन एवं परिवादी की उपस्थिति में दिनांक 27.06.2023 को समय 06.03 पीएम पर परिवादी की आरोपी से वक्त रिश्वत मांग सत्यापन हुई वार्ता जो कार्यालय के डिवीआर में रिकार्ड की गई थी डिवीआर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट कानि श्री जितेन्द्र सिंह से तैयार

करवाई गई। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 28.06.2023 समय 08:10 पीएम पर रात्रि का समय होने तथा आरोपी का फोन परिवारी के मोबाईल नंबर पर नहीं आने तथा आरोपी की लोकेशन कोटा आने के कारण आज ट्रेप कार्यवाही की संभावना नहीं है। जिस पर परिवारी ने आरोपी को दी जाने वाली राशि 60,000/- रुपये वजह सुरक्षा मालखाने में श्री श्यामलाल हैड कानि से सुरक्षित रखवाई गई। आईन्दा अग्रिम कार्यवाही स्थिति के अनुसार की जायेगी। चुकी कल दिनांक 29.06.2023 को ईद का त्योहार होने के कारण आरोपी के आने की संभावना कम है। फिर भी परिवारी को कोई भी कॉल आरोपी के तरफ से आये तो तुरन्त अवगत कराने की हिदायत दी गई। एवं पूर्ण गोपनीयता बरतने की भी हिदायत गवाहन एवं परिवारी को दी गई अपने मोबाईल ऑन रखने की सबको गुजारिश की गई ताकी किसी भी स्थिति में तुरंत कार्यवाही की जा सके। परिवारी श्री भगवान लाल ने उसके मोबाईल पर वाट्सअप नामक एप से भरत फोरेस्टर के मोबाईल वाट्सअप एप पर दिनांक 27.06.2023 समय 01:03 पीएम पर जो वार्ता की थी का एक विडियो सीडी में पेश किया। इसकी आईन्दा ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जायेगी। सीडी सुरक्षित मालखाना रखवाया गया। परिवारी एवं गवाहन को रूखसत किया गया। दिनांक 01.07.2023 समय 12:30 पीएम पर चुकी आज व कल जीएच अवकाश है (आज शनिवार और कल रविवार) अतः आरोपी के ड्युटी पर आने की संभावना कम है। न ही परिवारी के पास कोई फोन आरोपी का आया है। परिवारी को किसी अन्य सुत्र से भी आरोपी के चित्तौड क्षेत्र में आने की जानकारी नहीं है अतः अब कार्यवाही की संभावना दिनांक 03.07.2023 के बाद ही है। किन्तु मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के आवश्यक घरेलु कार्य आने के कारण अवकाश पर जाना जरूरी है। अतः श्रीमान डिआईजी साहब एसीबी उदयपुर को अवकाश हेतु किये गये निवेदन पर अवकाश स्वीकृत हो चुका है अतः श्रीमान डिआईजी साहब को प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10:00 बजे किसी अधिकारी को भेजने हेतु निवेदन किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पत्रावली एवं संबंधित समस्त रिकार्डिंग एवं अन्य समस्त संबंधित सामग्री मालखाने में सुरक्षित रखवाकर अवकाश पर रवाना हुआ। दिनांक 03.07.2023 समय 02.55 पीएम पर पुलिस निरीक्षक श्री आदर्श कुमार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट उदयपुर से श्रीमान् उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर रैंज उदयपुर के आदेशानुसार बाद शहादत भीलवाडा के बाद फारीख भीलवाडा से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित आया जिस पर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ के हैड कानि० श्री श्याम लाल शर्मा द्वारा ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित अब तक की गई कार्यवाही का रनिंग नोट मय फर्द ट्रांसक्रिप्टें रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताओं की पत्रावली प्रस्तुत की जिसका मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27.06.2023 का मय रनिंग नोट अब तक का अवलोकन किया एवं अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु परिवारी एवं पूर्व में पाबन्द शुदा दोनो स्वतन्त्र गवाहन को जरिये दूरभाष तलबी हेतु श्री श्याम लाल हैड कानि० को निर्देशित किया । दिनांक 03.07.2023 समय 03.00 पीएम पर श्री श्याम लाल हैड कानि० ने जरिये दूरभाष पूर्व से पाबन्द शुदा दोनो स्वतन्त्र गवाहन सर्व श्री दीपक मेघवाल सहायक अभियन्ता एवं श्री प्रमेन्द्र चौधरी कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता (प.व.स.) अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड चित्तौडगढ को ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित पर समय 03.25 पी.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनो स्वतन्त्र गवाहन सर्व श्री दीपक मेघवाल सहायक अभियन्ता एवं श्री प्रमेन्द्र चौधरी कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता (प.व.स.) अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड चित्तौडगढ ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित आये जिन्हें अग्रिम ट्रेप कार्यवाही से अवगत कराया गया। समय 05.55 पी.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवारी श्री भगवान लाल कुमावत निवासी ग्राम आंवलहेडा जिला चित्तौडगढ ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित आया जिसे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पूर्व में की गई कार्यवाही के सम्बन्ध मे उपस्थित परिवारी एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन के समक्ष पूछताछ की गई तो परिवारी ने पूर्व में ब्यूरो द्वारा की जा रही कार्यवाही की पुष्टि करते हुए बताया कि आज समय करीब 05.36 पी.एम. पर मेरे मोबाईल फोन पर वॉट्स-अप कॉल के माध्यम से श्री भरत मीणा वन रक्षक ने वन कार्यालय बस्सी आने के लिये बताया है । आरोपी द्वारा आज रिश्वत राशि लिया जाना तय हुआ है । समय 06.00 पी.एम. इस समय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहन के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवारी श्री भगवान लाल से श्री सलीम मोहम्मद रेंजर को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर श्री श्याम लाल हैड कानि० द्वारा ब्यूरो कार्यालय के मालखाने से पूर्व में परिवारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिश्वत राशि को परिवारी को दी गई जिस पर परिवारी ने अपने पास से 500-500 के 118 नोट व 100-100 रुपये के 10 नोट कुल 60,000 रुपये भारतीय चलन मुद्रा के करेन्सी नोट पेश किये । उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर निम्नानुसार है : -

1	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	9 BS 757512
2	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	2 TT 969537
3	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	2 GK 195414
4	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	4 HK 643537

5	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	7 KQ 719148
6	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	7 RM 057739
7	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	4 LU 211417
8	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	8 LT 969542
9	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	4 NS 513955
10	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	9 BK 324406
11	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	9 EA 977549
12	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	5 VG 387358
13	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	6 SV 701931
14	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	2 GB 492936
15	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	4 KA 704548
16	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	7 EN 072832
17	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	6 UF 047476
18	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	5FU 198190
19	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	1RA 733038
20	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	4 GW 702604
21	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	9 TF 752198
22	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	6 GU 705815
23	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	5 TW 253842
24	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	4 SW 759386
25	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	1 CS 958962
26	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	9 FQ 809803
27	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	3 DH 456740
28	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	9 DS 417186
29	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	7 AV 357327
30	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	3 PU 615825
31	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	5 AA 904854
32	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	7 FU 611493
33	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	9 CP 734747
34	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	7 DS 244532
35	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	8 CM 613462
36	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	8 SS 550503
37	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	6 KW 545148
38	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	9 PW 281612
39	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	6 HN 301085
40	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	6 FR 741989
41	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	1 KA 379054
42	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	7 QD 129561
43	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	8 AN 956364
44	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	6 DN 436981
45	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	3 KL 845155
46	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	8 ER 288031
47	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	3 RH 245223
48	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	3 AQ 685609
49	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	0 WT 955753
50	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	0 DA 896096
51	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	1 BS 012110
52	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	9 MT 241499
53	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	3 CW 259938
54	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	1 BU 308805
55	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	2 TC 986414
56	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	7 FC 701638
57	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	7 CA 007457

58	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	4 NK 122020
59	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	0 MK 715256
60	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	7 VC 998131
61	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	5 WM 941034
62	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	3 HU 428873
63	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	8 FC 340575
64	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	9 GP 478906
65	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	7 NV 608756
66	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	6 AR 391407
67	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	8 LK 078046
68	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	6 FR 648268
69	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	5 PL 954902
70	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	4 TL 202181
71	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	7 DB 226402
72	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	7 LQ 370752
73	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	5 MW 394653
74	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	5 ET 843058
75	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	3 DB 144359
76	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	4 QW 630407
77	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	4 HU 289582
78	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	6 CN 974008
79	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	7 BF 010161
80	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	8 EA 894227
81	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	1 FH 320146
82	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	3 DB 358509
83	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	8 MS 564455
84	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	0 GS 552757
85	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	3 BV 855129
86	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	3 GW 048548
87	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	3 TG 191147
88	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	2 NT 950085
89	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	3 WR 186783
90	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	8 QC 873100
91	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	4 GE 209876
92	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	1 NU 121562
93	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	0 MD 396171
94	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	0 HC 284728
95	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	5 LK 070603
96	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	6 EK 007379
97	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	2 AS 182035
98	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	7 AV 784825
99	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	4 DN 825201
100	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	8 DE 192302
101	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	2 PM 408804
102	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	2 TA 798860
103	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	8 WF 644655
104	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	9 VK 880354
105	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	1 VP 036762
106	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	0 BV 513979
107	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	6 VU 717589
108	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	8 EQ 709015
109	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	5 SP 082482
110	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	6 KR 419128

111	एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी	5 FP 633044
112	एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी	0 CD 915961
113	एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी	2 VB 547177
114	एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी	0 CL 391270
115	एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी	6 NS 452847
116	एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी	4 VN 178889
117	एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी	7 DQ 309282
118	एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी	7 DU 442585
119	एक नोट 100/- रूपये का नम्बरी	6 KS 229445
120	एक नोट 100/- रूपये का नम्बरी	8 EF 892537
121	एक नोट 100/- रूपये का नम्बरी	3 BE 215934
122	एक नोट 100/- रूपये का नम्बरी	8 GU 156263
123	एक नोट 100/- रूपये का नम्बरी	0 KP 274149
124	एक नोट 100/- रूपये का नम्बरी	9 BF 832262
125	एक नोट 100/- रूपये का नम्बरी	4 DW 171561
126	एक नोट 100/- रूपये का नम्बरी	3 EN 051622
127	एक नोट 100/- रूपये का नम्बरी	7 GE 229515
128	एक नोट 100/- रूपये का नम्बरी	7 CA 082696

उपरोक्त नोट परिवादी द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटों पर श्रीमति आशा कुमारी महिला कानि० से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाने से निकलवाकर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर श्रीमति आशा कुमारी से ही लगवाया जाकर नोटों को परिवादी श्री भगवान लाल कुमावत की पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जेब में कोई शै: नही छोडते हुए रखवाये गये। श्री श्याम लाल हैड कानि० से साफ काँच का एक गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस रंगहीन घोल में श्रीमति आशा कुमारी की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगे तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्रीमति आशा कुमारी से बाहर फिंकवाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी पुनः मालखाने में सुरक्षित रखने के निर्देश दिये गये। इसके उपरान्त उपरोक्त कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा रिश्वती राशि देने के बाद मोबाईल से मिस कॉल कर या गोपनीय निर्धारित ईशारा (सिर पर हाथ फेरकर) करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। श्री श्याम लाल हैड कानि० से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियों, दो नई गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री भगवान लाल कुमावत को डिजीटल टेप रिकॉर्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को टेप करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्रीमति आशा कुमारी के दोनो हाथों को साफ-पानी व साबुन ने धुलवाये गये एवं उसें ट्रेप कार्यवाही के दौरान एसीबी कार्यालय चित्तोडगढ में ही रहने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तीब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तीब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई। समय 06.30 पी.एम. पर संदिग्ध श्री भरतराम मीणा फोरेस्ट गार्ड के मोबाईल नम्बर 8000921535 से परिवादी श्री भगवान लाल के मोबाईल नम्बर 9166175344 पर कॉल आया जिस पर उसने परिवादी को कहा कि आपको रेंजर साहब बुला रहे है बस्सी कार्यालय

आ जाना मैं फोन कर रहा हूँ जो साहब कर रहे हैं, पुरे रूपये लेकर आना, से सम्बन्धित वार्ता को नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी। जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार की जावेगी। दिनांक 03.07.2023 समय 06.35 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक आदर्श कुमार, स्वतन्त्र गवाहान श्री दीपक मेघवाल, श्री प्रमेन्द्र चौधरी मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री जयराम कानि० चालक मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप मय प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री के तथा ब्यूरो टीम के अन्य सदस्यगण श्री नेमीचन्द्र खटीक ए.एस.आई, श्री श्याम लाल हैड कानि०, श्री ओमप्रकाश शर्मा हैड कानि०, श्री खालिद हुसैन कानि०, श्री सुनिल कुमार कानि० मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री शेर सिंह के बजानिब कार्यवाही हेतु बस्सी जिला चित्तौडगढ के लिये रवाना होते हुए परिवादी श्री भगवान लाल एवं श्री जितेन्द्र सिंह कानि० को परिवादी की निजी मोटर साईकिल से आगे-आगे रवाना कर हम सभी रवाना हुए। दिनांक 03.07.2023 समय 07.28 पी.एम. इस समय मन् पुलिस निरीक्षक आदर्श कुमार मय हमराहीयान उपरोक्त फिगरा का ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ से रवाना शुदा पुलिस थाना बस्सी से कुछ पहले दोनो सरकारी वाहनों को रोका गया जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत मुनासिब कर डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को चालु व बन्द करने के सम्बन्ध में पुनः समझाईश करने के उपरान्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालु कर संभलाने के पश्चात् परिवादी श्री भगवान लाल को उसके साथी श्री प्रकाश गोस्वामी के साथ मय परिवादी की निजी मोटर साईकिल से आगे-आगे रवाना करते हुए मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान भी कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी बस्सी जिला चित्तौडगढ के लिये रवाना हुआ। दिनांक 03.07.2023 समय 07.30 पी.एम.पर मन् पुलिस निरीक्षक आदर्श कुमार द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह को शीघ्र ही कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी बस्सी जिला चित्तौडगढ के बाहर अपनी उपस्थिति छूपाते हुए गेट के सामने कार्यालय के सामने खडे रहने के सम्बन्ध में निर्देशित करते हुए मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान भी कार्यालय के आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति को छूपाते हुए खडे होकर परिवादी के निर्धारित ईशारें एवं श्री जितेन्द्र सिंह कानि० के द्वारा दी जाने वाली सूचना के इन्तजार में खडे रहे। दिनांक 03.07.2023 समय 07.42 पी.एम. पर परिवादी श्री भगवान लाल कुमावत ने कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी बस्सी जिला चित्तौडगढ के मैन गेट पर आकर खडे-खडे ही अपने सिर पर हाथ फैरकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि लिया जाने से सम्बन्धित निर्धारित ईशारा किया जिसे पास ही खडे श्री जितेन्द्र सिंह कानि० ने देखकर मन् पुलिस निरीक्षक को ईशारा किया तथा श्री जितेन्द्र सिंह कानि० ने अपने मोबाईल फोन से श्री श्याम लाल हैड कानि० के मोबाईल फोन पर भी कॉल करके बताया था जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने गवाहों एवं ब्यूरो टीम के साथ अविलम्ब शिघ्रता से दोनो सरकारी वाहनों को तेज गति से चलाते हुए परिवादी के पास पहुंचा तथा परिवादी ने डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर पेश किया जिसे बन्द कर मैंने अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी बस्सी के कार्यालय के बाहर खडे एक व्यक्ति की ओर ईशारा करते हुए बताया कि यही श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी बस्सी है जिन्होंने मेरे से अभी-अभी 60000 रूपये की रिश्वत राशि मांग अनुसार प्राप्त की है जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय देकर अपने आने के मंतव्य से अवगत कराया तथा उक्त व्यक्ति का परिचय पुछा तो उसने अपना नाम अब्दुल सलीम पुत्र श्री अब्दुल कय्यूम कुरैशी उम्र 47 साल निवासी हाजी हाउस, घोसी मौहल्ला, अनन्तपुरा, पुलिस थाना अनन्तपुरा कोटा हाल क्षेत्रीय वन अधिकारी, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी बस्सी जिला चित्तौडगढ होना बताया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी से परिवादी श्री भगवान लाल कुमावत से 60000 रूपये रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में पूछा तो घबराते हुए बताया कि मैंने कोई रिश्वत राशि नहीं ली है, ये झुठ बोल रहा है, ऐसे तो कोई भी आकर रूपये फँककर चला जायेगा, मैंने कोई रिश्वत राशि इनसे मांगी है और ना ही प्राप्त की है जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री अब्दुल सलीम द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों के सम्बन्ध में परिवादी से पूछा तो परिवादी ने बताया कि दिनांक 01.06.2023 को मैंने 25000 रूपये जुर्माने के श्री मुकेश खारोल सहायक वनपाल नाका भिचोर के पास जमा कराकर प्राप्ती रसीद प्राप्त की तथा 01 लाख रूपये श्री आरोपी श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी ने मेरे से मांगे थे जो मैंने इनको इनके कार्यालय में दिनांक 01.06.2023 को दिये थे तथा इस सम्बन्ध में अधिकारी से बात कराने एवं रिश्वत राशि मांगने के लिये श्री भरत राम मीणा वन रक्षक चौकी महेशरा द्वारा भी मेरे से बातचीत की है और आज यहां आने से पूर्व भी उन्होंने मुझे मोबाईल पर फोन करके बुलाया तथा अभी कुछ समय पहले मैं इनके कार्यालय में आया तो इन्होंने मुझे अपने कार्यालय में बैठाकर मेरे खिलाफ कार्यवाही नहीं करने से सम्बन्धित बातचीत करते हुए मेरे से पूर्व में तय की गई रिश्वत राशि 60000 रूपये मांगने पर मैंने जब इनको उक्त राशि देनी चाही तो इन्होंने उक्त राशि को मुझे इनकी टेबल की दराज में रखने को कहा जिस पर मैंने उक्त रिश्वत राशि 60 हजार रूपये को इनके कहे अनुसार टेबल की दराज में रख दिये। फिर मैंने इनके कार्यालय से बाहर आकर मैन गेट पर खडे होकर निर्धारित गोपनीय ईशारा किया और इस सम्बन्ध में पुष्टि करना चाहते हो तो डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में लेन-देन के वक्त की गई रिश्वत राशि वार्ता को आप सुन सकते हो, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को चालुकर सुना गया तो

परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि होना पाई गई । जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी को तसल्ली देकर पुनः रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में पूछा तो आरोपी श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी ने बताया कि श्री भगवान लाल कुमावत झुठ बोल रहा है, मैंने इनसे बन्दी के 50 हजार रुपये लेने एवं अन्य राशि और भी देना बता रहा है यह सब बातें झुठ है । मैंने मेरे लिये एवं मेरे विभाग के किसी अन्य कर्मचारी के लिये ना तो मैंने पूर्व में रिश्वत राशि ली है और ना ही इससे मांगी है। मेरे सम्बन्ध में यदि कोई अधिनस्थ कर्मचारी द्वारा मेरे लिये मेरे नाम से रिश्वत राशि की मांग की गई है तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है और मैं पूर्णतया ईमानदार हूँ। मुझे बदनाम करने की नियत से श्री भगवान लाल कुमावत द्वारा मुझे इस षडयन्त्र में फंसाया जा रहा है। इसके अलावा मेरे व श्री भगवान लाल कुमावत के बीच बातचीत मेरे कार्यालय के श्री भरतराम मीणा वनरक्षक चौकी महेसरा ने करवाई थी और आज भी मुझसे पूछकर ही श्री भरतराम मीणा वनरक्षक ने श्री भगवान लाल कुमावत को मेरे कार्यालय में बुलाया था परन्तु ब्यूरो कार्यवाही की भनक लगने से श्री भरतराम मीणा वनरक्षक कार्यालय के बाहर से ही भाग गया है और अभी उसका फोन भी स्वीच ऑफ आ रहा है इसलिये उससे सम्पर्क नहीं हो पा रहा है । इस पर मन् पुलिस निरीक्षक को आरोपी श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी ने अपनी स्वेच्छा से कहा कि सर मेरे से गलती हो गई है, मैंने वो रुपये मेरे निवास पर काम करने वाला श्री मदन गुर्जर को अपने फोन से समय करीब 07.42 पी.एम. पर कॉल कर बुलाया और उसको रिश्वत राशि को टेबल की दराज से लेकर तुरन्त मेरे निवास की ओर जाने हेतु कहा ओर हिदायते दी गई की कोई गडबड हो जावे तो इन रूपयों को खुर्द-बुर्द कर देना। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी से उक्त प्राईवेट व्यक्ति जो निवास पर कार्य करता है उसे बुलाने हेतु कहा जिस पर उसने अपने निवास पर काम करने वाले व्यक्ति श्री मदन लाल गुर्जर को अपने कार्यालय में बुलाया जो कार्यालय में उपस्थित आया जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना तथा हमराहीयान का परिचय देते हुए आने के मन्तव्य से अवगत कराते हुए उससे उसका परिचय पूछा तो उसने नाम मदन लाल गुर्जर पुत्र श्री कालू लाल गुर्जर उम्र 24 साल निवासी तोरणिया पुलिस थाना पारसोली जिला चित्तौडगढ (प्राईवेट व्यक्ति) होना बताया। जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने उसे श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी के निवास पर कब से कार्य करने एवं अभी कुछ समय पूर्व श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी के कहे अनुसार टेबल की दराज से 60 हजार रुपये लिये जो कहां पर रखे है। जिस पर श्री मदन लाल गुर्जर ने बताया कि मैंने टेबल के बाईं ओर की दराज के पहले खण्ड में रखे हुए नोटों को प्राप्त कर मेरे पहने हुए आसमानी लोवर (पजामा) की दाहिनी जेब में रखकर मैं सलीम साहब के निवास पर गया तभी कार्यालय में नीचे शोर-गुल सूना और सब लोगो को आते देख लिया था और मैं डर गया था तथा सलीम साहब के द्वारा दी गई हिदायतों के आधार पर मुझे लगा कि गडबड हो गई है। मैंने उक्त रिश्वत राशि को सलीम साहब के सरकारी क्वार्टर के छत से नीचे पीछे की ओर फैंक दिये। मैं साहब के निवास स्थान पर करीब डेड वर्ष से कार्य कर रहा हूँ इसलिये साहब के कहे अनुसार मैंने उक्त राशि को उनकी टेबल की दराज से ले तो ली परन्तु आप लोगो द्वारा साहब से काफी पूछताछ कर रहे जिसको देखकर मैं घबरा गया। इसलिये मैंने उक्त राशि को उनके आवास के उपर छत से नीचे सरकारी आवासीय क्वार्टरों के पीछे की ओर फैंक दी। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री मदन लाल गुर्जर (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा बताये गये तथ्यों के सम्बन्ध में आरोपी श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी को पूछा तो आरोपी चुप रहा और कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया और गर्दन झुकाकर खडा गया और विनती करने लगा की साहब गलती हो गई है, आईन्दा ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे व मदन लाल को माफ कर दो । उपरोक्त परिवादी एवं आरोपी श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं श्री मदन लाल गुर्जर के कथनों से रिश्वत राशि ग्रहण की गई स्वीकारोक्ति पर उनके द्वारा ग्रहण की रिश्वत राशि के बारे में प्रमाणिकता हेतु सरकारी वाहन टवेरा मे से श्री सुनिल कुमार कानि0 से ट्रेप बॉक्स मंगवाया गया। ट्रेप बॉक्स में सें दो साफ कांच के गिलास स्वतंत्र गवाह श्री प्रमेन्द्र चौधरी से निकलवाये जाकर कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी के कक्ष में रखें पीने के पानी से पानी भरवाया गया। उक्त दोनों गिलासों में गवाह श्री प्रमेन्द्र चौधरी से एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक कांच की गिलास के घोल में आरोपी श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाई जाकर उक्त धोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क RH-1 व RH-2 से चिन्हित करा सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दुसरे कांच की गिलास के घोल में आरोपी श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाई जाकर उक्त धोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क LH -1 व LH- 2 से चिन्हित कर सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात कानि0 श्री सुनिल कुमार से दोनों कांच के गिलासों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाया जाकर दोनो कांच के गिलास में पीने का साफ पानी

भरवाया जाकर गवाह श्री प्रमेन्द्र चौधरी से एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक कांच की गिलास के घोल में आरोपी श्री मदन लाल गुर्जर के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी में परिवर्तित हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट करा मार्क RH-1 व RH-2 से चिन्हित कर सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दूसरे कांच की गिलास के घोल में आरोपी श्री मदन लाल गुर्जर के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी में परिवर्तित हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क LH-1 व LH-2 से चिन्हित करा सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् कानि० श्री सुनिल कुमार से दोनों कांच के गिलासों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाया जाकर एक कांच के गिलास में पीने के पानी के केम्पर में से साफ पानी भरवाया जाकर गवाह श्री प्रमेन्द्र चौधरी से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। गवाह श्री प्रमेन्द्र चौधरी द्वारा उक्त कांच की गिलास के घोल में रूई का फोहा डूबोकर भिगाया गया तो कांच के गिलास का रंग अपरिवर्तित रहा तत्पश्चात् उक्त भिगोए हुए फोहें को आरोपी श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी की टेबल की बांयी तरफ बनी दर्राज के पहले खण्ड जिसमें रिश्वत राशि रखी गई से सम्बन्धित दर्राज में घुमाया जाकर कांच के गिलास में धोया गया तो धोवन का रंग गुलाबी परिवर्तित हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क D-1 व D-2 से चिन्हित कर सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री मदन लाल गुर्जर के उसके पहने हुए लोवर की दाहिनी जेब में रखी होने की स्वीकारोक्ति की थी जिसकी प्रमाणिकता हेतु आरोपी श्री मदन लाल गुर्जर की पहने हुए लोवर की दाहिनी जेब का प्रकियानुसार धोवन लिया जाने हेतु एक अन्य पेन्ट की व्यवस्था कर श्री मदन लाल गुर्जर की पहनी हुए लोवर को ससम्मान उतरवाई जाकर व्यवस्था अनुसार एक अन्य पेन्ट पहनाया गई तथा एक कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर गवाह श्री प्रमेन्द्र चौधरी से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त गिलास के घोल में आरोपी श्री मदन लाल गुर्जर की लोवर की दाहिनी जेब को गवाह श्री प्रमेन्द्र चौधरी से उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क P-1 एवं P-2 से चिन्हित कर सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री मदन लाल गुर्जर के लोवर के संबंधित जेब पर दोनो आरोपियों, गवाहों तथा परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जब्त कर कपडे की थेली में सीलचिट बंद करा उस पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् कानि० श्री सुनिल कुमार को आरोपी श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी की सुरक्षा में तैनात कर आरोपी श्री मदन लाल गुर्जर द्वारा जिस स्थान पर रिश्वत राशि फँकी गई उस स्थान से रिश्वत राशि अभिग्रहण हेतु मन् पुलिस निरीक्षक आरोपी श्री मदन लाल गुर्जर, गवाह श्री दीपक मेघवाल एवं श्री प्रमेन्द्र चौधरी एवं ब्यूरो स्टाफ श्री जितेन्द्र सिंह कानि० के साथ रवाना होकर श्री मदन लाल गुर्जर की निशादेही से सरकारी आवासीय क्वार्टरों के पीछे व्यवस्था अनुसार टॉर्च की सहायता से जहां श्री मदन लाल गुर्जर द्वारा रिश्वत राशि के 500-500 रूपये के नोट एवं 100-100 रूपये के नोट बिखरे हुए मिले जिनकी ओर आरोपी श्री मदन लाल गुर्जर ने ईशारा कर बताया कि मैंने उक्त राशि छत से फँकी है जो यह वहीं राशि है, जिन्हें गवाह श्री दीपक मेघवाल से उठवाकर दोनो स्वतन्त्र गवाहान से गिनवाया तो दोनो गवाहान ने 500-500 रूपये 118 नोट एवं 100-100 रूपये के 10 नोट कुल 60 हजार रूपये होना बताया जिस पर उक्त नोटों को स्वतन्त्र गवाह श्री दीपक मेघवाल के पास रहने दिया गया तथा वहां से रवाना होकर हम सभी पुनः कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी के कक्ष में उपस्थित आये तथा बरामद रिश्वत राशि के नोटों का मिलान पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोपथलीन एवं सोडियम कार्बोनेट में अंकित नोटों से मिलान दोनो गवाहों द्वारा करवाया गया तो नोटों का हुबहु मिलान होना पाया गया तथा बरामद शुदा उक्त नोटों को एक कागज की चिट लगाकर सीलचिट बंद किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जब्त किया गया। इसी दौरान पूर्व में तलबी शुदा महिला कानि० श्रीमती ललिता वैष्णव नम्बर 1494 पुलिस थाना पारसोली से दौराने कार्यवाही ईमदाद हेतु मौके पर उपस्थित आई। तत्पश्चात् आरोपी श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी के पास परिवादी के प्रश्नगत लबित कार्य से संबंधित प्रकरण की पत्रावली/दस्तावेजात् के बारे में पुछा गया तो आरोपी श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी ने बताया कि परिवादी श्री भगवान लाल कुमावत से सम्बन्धित पंचनामा एवं एफ.आई.आर. एवं जुमाने की रसीद, सुपुर्द नामा एवं रसीद से सम्बन्धित दस्तावेजात् मेरे कार्यालय की कार्मिक श्रीमती रेखा डामोर, वन रक्षक द्वारा संधारित किया जाता है

जिस पर श्रीमती रेखा डामोर को तलब कर बुलाया गया एवं परिवादी श्री भगवान लाल से सम्बन्धित दस्तावेजात् एवं रिकॉर्ड पेश करने हेतु कहने पर श्रीमती रेखा डामोर वन रक्षक ने परिवादी से सम्बन्धित दस्तावेजात् पेश किये जिस पर उक्त दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि "दिनांक 01.06.2023 को श्री मुकेश खारोल सहायक वनपाल वन नाका बीछोर द्वारा अपराध की प्रारम्भिक सूचना पुस्तक क्रमांक 634 पृष्ठ क्रमांक 46 दिनांक 01.06.2023 को वाहन चालक श्री पंकज कुमार बैरागी के नाम से पंच मैल नग 05 पकडी गई जिसकी एफ.आई.आर. की प्रति एवं पंचनामा की प्रति, बयान श्री पंकज कुमार बैरागी की प्रति, सुपुर्द नामा की प्रति, फार्म दरख्वास्त एवं जाना निरबत जुर्म जंगल की प्रति एवं रसीद बुक नम्बर 15, पेज संख्या 14 दिनांक 01.06.2023 द्वारा राशि 25000 जुर्माना जमा की प्रति को बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही की गई तथा मौके पर ही श्री मुकेश खारोल सहायक वनपाल नाका बीछोर रैंज बरसी जिला चित्तौडगढ भी उपस्थित था जिसके द्वारा एफ.आई.आर. काटी गई एवं मौके पर कार्यवाही की गई जिससे एफ.आई.आर. बुक एवं रसीद बुक मूल ही तलब करने पर पेश की जिस पर उक्त पेश किये गये सम्पूर्ण दस्तावेजात् एवं रिकॉर्ड के प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठ पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाने के उपरान्त उक्त रिकॉर्ड को शामिल कार्यवाही किया गया । साथ ही श्री मुकेश खारोल सहायक वनपाल से परिवादी द्वारा दिनांक 01.06.2023 को 25000 रुपये जुर्माना राशि के अलावा 01 लाख रुपये आरोपी श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी को दिये जिसके सम्बन्ध में पूछा तो श्री मुकेश खारोल ने बताया कि मुझे तो केवल 25000 रुपये जुर्माना राशि के तौर पर दिये थे जिसकी रसीद मैंने काट कर परिवादी श्री भगवान लाल कुमावत को दे दी थी तथा 01 लाख रुपये के सम्बन्ध में मुझे कुछ भी पता नहीं है और ना ही मेरे सामने 01 लाख रुपये दिये इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

आरोपी श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं आरोपी श्री मदन लाल गुर्जर (प्राईवेट व्यक्ति) के तथा परिवादी श्री भगवान लाल कुमावत के मध्य आपस में वॉट्स-अप कॉल/साधारण कॉल पर हुई रिश्त राशि मांग सत्यापन वार्ताओं एवं रिश्त राशि लेन-देन से पूर्व तथा बाद में हुई मोबाईल वार्ताएं होना पाये जाने से श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं आरोपी श्री मदन लाल गुर्जर (प्राईवेट व्यक्ति) के मोबाईल फोन को वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया जाना आवश्यक होने से उक्त दोनो मोबाईलों को जरिये फर्द पृथक से जब्त किया जावेगा । उपरोक्त समस्त कार्यवाही की लिखा पढी जरिये लेपटॉप मौके पर कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी बरसी में बैठकर की गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्त राशि अलग से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । समय 09.20 पी.एम. पर आरोपी श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी बरसी जिला चित्तौडगढ के सरकारी आवास उक्त कार्यालय परिसर मे होने से खाना तलाशी आरोपी की पत्नि श्रीमती शाहीना परवीन एवं श्रीमती ललिता वैष्णव महिला कानि0 की मौजूदगी में नियमानुसार ली गई जिसकी फर्द पृथक से मूर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 03.07.2023 समय 09.40 पी.एम. पर आरोपी श्री अब्दुल सलीम पुत्र श्री अब्दुल कययूम कुरैशी उम्र 47 साल निवासी हाजी हाउस, घोसी मौहल्ला, अनन्तपुरा, पुलिस थाना अनन्तपुरा कोटा हाल क्षेत्रीय वन अधिकारी, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी बरसी जिला चित्तौडगढ के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 एवं 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना मौके पर उपस्थित आरोपी की पत्नि श्रीमती शाहीना परवीन को दी गई । फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 03.07.2023 समय 09.50 पी.एम. पर आरोपी श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी की जामा तलाशी में प्राप्त एक एप्पल कम्पनी का आई.फोन 12 मय दो मोबाईल सीम जिसके मोबाईल नम्बर 94133-53951 एवं 63757-08632 को पृथक से फर्द मूर्तिब की जाकर जब्त किया गया एवं विवरण फर्द में अंकित किया गया एवं उक्त मोबाईल को सीलबंद किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जब्त किया गया। दिनांक 03.07.2023 समय 10.00 पी.एम. पर अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री मदन लाल गुर्जर पुत्र श्री कालू लाल गुर्जर उम्र 24 साल निवासी तोरणिया पुलिस थाना पारसोली जिला चित्तौडगढ (प्राईवेट व्यक्ति) के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 176, 179 एवं 201 आई.पी.सी. में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के पिता श्री कालू लाल गुर्जर को दी जायेगी। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 03.07.2023 समय 10.20 पी.एम. पर आरोपी श्री मदन लाल गुर्जर की जामा तलाशी में प्राप्त एक एन्ड्रॉइड फोन वन प्लस कम्पनी 6टी, मॉडल नम्बर ए-6010 मय एक मोबाईल सीम जिसके मोबाईल नम्बर 97833-19946 को पृथक से फर्द मूर्तिब की जाकर जब्त किया गया एवं विवरण फर्द में अंकित किया गया एवं उक्त मोबाईल को सीलबंद किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जब्त किया गया। समय 10.35 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक आदर्श कुमार, स्वतन्त्र गवाहान श्री दीपक मेघवाल, श्री प्रमेन्द्र चौधरी मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री जयराम कानि0 चालक मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप मय प्रिन्टर एवं

आवश्यक सामग्री के तथा ब्यूरो टीम के अन्य सदस्यगण श्री नेमीचन्द खटीक ए.एस.आई, श्री श्याम लाल हैड कानि०, श्री ओमप्रकाश शर्मा हैड कानि०, श्री खालिद हुसैन कानि०, श्री सुनिल कुमार कानि०, श्री जितेन्द्र कुमार कानि० मय गिरफ्तार शुदा दोनो आरोपीगण तथा परिवादी श्री भगवान लाल कुमावत मय जब्त शुदा आर्टिकल्स, बरामद शुदा रिश्वत राशि एवं सैम्पल्स शिशियां मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री शेर सिंह के कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी बस्सी से ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ के लिये रवाना हुए तथा श्रीमती ललिता वैष्णव महिला कानि० को पुनः अपनी जाया तैनाती पुलिस थाना पारसोली जिला चित्तौडगढ के लिये रवाना किया । समय : 11.25 पी. एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक आदर्श कुमार मय हमराहीयान मय गिरफ्तार शुदा दोनो आरोपीगण तथा परिवादी श्री भगवान लाल कुमावत मय जब्त शुदा आर्टिकल्स, बरामद शुदा रिश्वत राशि एवं सैम्पल्स शिशियां मय दोनो सरकारी वाहन टवेरा मय चालकों के कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी बस्सी से रवाना शुदा ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पहुंचा जहां पर उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित दोनो आरोपीगणों को ब्यूरो जाप्ता की निगरानी में कार्यालय में बैठाया जाकर जप्त शुदा समस्त मालखाना आईटम को श्री श्याम लाल हैड कानि० को सुरक्षित संभलाकर मालखाने में सुरक्षित रखवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। समय 11.35 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी से उसकी आवाज का नमूना चाहने हेतु पृथक से तहरीर दी गई तो आरोपी द्वारा उक्त पत्र की प्रति पर अपनी आवाज नमूना नहीं देने हेतु अंकित किया गया जिस पर उक्त पत्र की प्रति को गवाह के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली किया गया। समय 11.45 पीएम पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहन एवं परिवादी की उपस्थिति में दिनांक 27.06.2023 को समय 01.03 पीएम पर परिवादी एवं संदिग्ध श्री भरतराम मीणा फोरेस्टर के मध्य मोबाईल वॉट्स-अप कॉल वार्ता हुई जिसकी सीडी परिवादी द्वारा दिनांक 28.06.2023 को पेश की जिसे सुरक्षित मालखाने में रखवाई गई जिसे सुरक्षित निकलवाई जाकर उक्त सीडी को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट कानि श्री जितेन्द्र सिंह से तैयार करवाई गई। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये। समय 11.55 पी.एम पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहन एवं परिवादी की उपस्थिति में दिनांक 03.07.2023 को समय करीब 06.30 पीएम पर परिवादी श्री भगवान लाल कुमावत के मोबाईल नम्बर 91661-75344 एवं संदिग्ध श्री भरतराम मीणा वनरक्षक के मोबाईल नम्बर 80009-21535 पर वॉट्स-अप कॉल वार्ता हुई जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया जाकर टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट कानि श्री जितेन्द्र सिंह से तैयार करवाई जाकर फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 04.07.2023 समय 12.05 ए.एम पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहन एवं परिवादी की उपस्थिति में दिनांक 03.07.2023 को समय करीब 07.30 पीएम से लगभग 07.42 पी. एम के मध्य परिवादी श्री भगवान लाल कुमावत एवं आरोपी श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी बस्सी के मध्य रूबरू आमने-सामने हुई रिश्वत राशि लेन-देन के वक्त हुई वार्ता जो ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई जिसे नियमानुसार कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट कानि० श्री जितेन्द्र सिंह से तैयार करवाई जाकर फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 02.00 ए.एम. पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहन के समक्ष आरोपी श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी बस्सी, श्री भरतराम मीणा, वनरक्षक, एवं परिवादी श्री भगवान लाल कुमावत के मध्य मोबाईल वॉट्स-अप कॉल तथा रूबरू हुई आमने-सामने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताएं (3) दिनांक 27.06.2023, तथा दिनांक 03.07.2023 को आरोपी श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी बस्सी तथा श्री भरतराम मीणा, वनरक्षक, एवं परिवादी श्री भगवान लाल कुमावत के मध्य मोबाईल वॉट्स-अप कॉल तथा रूबरू हुई आमने-सामने रिश्वत राशि लेन-देन वार्ताएं (2) कुल वार्ता 05 जो कि कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकार्ड तथा परिवादी द्वारा पेश सीडी मे दर्ज वार्ता थी। सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर तथा आरोपी द्वारा पेश सीडी को लेपटॉप से कनेक्ट कर उपरोक्त 05 वार्ताओं की 05 सी०डी० श्री जितेन्द्र कानि० 514 से डब करवायी गई। एक सीडी वजह सबूत न्यायालय के लिये, दो सीडीयां आरोपीगण के लिये, एक सीडी नमूना आवाज के लिये पृथक-पृथक सफेद कपडे की थैलीयों मे सील्ड मोहर कर सीडीयों तथा कपडे की थैलीयो पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। एक सी०डी० आईओ के लिये खुली रखी गई। समय 02.35 ए.एम. पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहन के समक्ष आरोपी श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी बस्सी, श्री भरतराम मीणा, वनरक्षक, एवं परिवादी श्री भगवान लाल कुमावत के मध्य मोबाईल वॉट्स-अप कॉल तथा रूबरू हुई आमने-सामने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताएं (3) दिनांक 27.06.2023, तथा दिनांक 03.07.2023 को आरोपी श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी बस्सी तथा श्री भरतराम मीणा, वनरक्षक, एवं परिवादी श्री भगवान लाल कुमावत के मध्य मोबाईल वॉट्स-अप कॉल तथा रूबरू हुई आमने-सामने रिश्वत राशि लेन-देन वार्ताएं (2) कुल वार्ता 05 जो कि कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकार्ड की गई थी। उक्त 05 ऑडियो फाईल को सेनडिस्क कम्पनी के 16 जी.बी. पेन ड्राईव बरंग लाल एवं काले में सेव किया जाकर पेन ड्राईव को एक कागज के लिफाफे मे डालकर उक्त कागज के लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त लिफाफे

को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर कपड़े की थैली को सिल्ड कर मार्क "पी." अंकित कर कपड़े की थैली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । इस सम्बन्ध में फर्ड जब्ती पेन ड्राईव अलग से मूर्तीब की गई जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । समय 03.15 ए.एम. पर उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष आरोपी श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी बस्सी, श्री भरतराम मीणा, वनरक्षक, एवं परिवादी श्री भगवान लाल कुमावत के मध्य मोबाईल वॉट्स-अप कॉल तथा रूबरू हुई आमने-सामने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताएं (2) दिनांक 27.06.2023, तथा दिनांक 03.07.2023 को आरोपी श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी बस्सी तथा श्री भरतराम मीणा, वनरक्षक, एवं परिवादी श्री भगवान लाल कुमावत के मध्य मोबाईल वॉट्स-अप कॉल तथा रूबरू हुई आमने-सामने रिश्वत राशि लेन-देन वार्ताएं (2) कुल वार्ता 04 जो कि कार्यालय के सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे हुए ADATA कम्पनी के 16 जी.बी. मेमारी कार्ड में रिकार्ड है । उक्त सरकारी ADATA कम्पनी के 16 जी.बी. मेमारी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक सफेद कागज के लिफाफे में डालकर उक्त कागज के लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर कपड़े की थैली को सिल्ड कर मार्क "एम." अंकित कर कपड़े की थैली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । इस सम्बन्ध में फर्ड जब्ती मेमोरी कार्ड अलग से मूर्तीब की गई जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । समय 09.00 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय जाप्ता श्री श्याम लाल हैड कानि0 एवं गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री मदन लाल गुर्जर मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री जयराम कानि0 के हमराह वक्त घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार करने हेतु कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी बस्सी जिला चित्तौडगढ के लिये रवाना हुआ । समय 09.30 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी बस्सी जिला चित्तौडगढ पहुंचा जहां पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री मदन लाल गुर्जर की निशांदाही से क्षेत्रीय वन अधिकारी के कार्यालय कक्ष में जहां रिश्वत राशि का लेन-देन हुआ एवं आरोपी श्री मदन लाल गुर्जर द्वारा आरोपी श्री अब्दुल सलीम के कहे अनुसार रिश्वत राशि को उसकी टेबल की बांयी दराज के पहले खण्ड से उठाये जाने वाले स्थान के घटनास्थल एवं श्री मदन लाल गुर्जर द्वारा रिश्वत राशि को क्षेत्रीय वन अधिकारी के सरकारी आवास की छत से नीचे पीछे की ओर फैंकी गई उस स्थान का बरामदगी स्थल का घटनास्थल का फर्ड नक्शा मौका तैयार किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये । दिनांक 04.07.2023 समय 10.15 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय जाप्ता श्री श्याम लाल हैड कानि0 एवं गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री मदन लाल गुर्जर मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री जयराम कानि0 के हमराह बाद घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार कर बाद फारीख कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी बस्सी जिला चित्तौडगढ से ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ के लिये रवाना हुआ । समय 10.45 ए.एम. इस समय मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिगरा का कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी बस्सी जिला चित्तौडगढ से रवाना शुदा ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पहुंचा जहां पर आरोपी श्री मदन लाल गुर्जर को निगरानी में बैठाया गया । समय 11.05 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री भगवान लाल कुमावत एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान को बाद सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही के ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ से रूखसत किया गया । समय : 11.10 ए.एम. पर गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं श्री मदन लाल गुर्जर (प्राईवेट व्यक्ति) को कार्यालय से श्री नेमीचन्द खटीक ए.एस.आई एवं श्री सुनिल कुमार कानि0 के साथ जरिये सरकारी वाहन टवेरा मय श्री शेर सिंह कानि0 ड्राईवर नम्बर 296 के आरोपीगणों को राजकीय सांवलिया जी चिकित्सालय मे स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर जरिये तहरीर देकर रवाना किया गया । समय 11.40 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ से श्री नेमीचन्द खटीक ए.एस.आई एवं श्री सुनिल कुमार कानि0 के साथ जरिये सरकारी वाहन टवेरा मय श्री शेर सिंह कानि0 ड्राईवर नम्बर 296 के साथ आरोपी श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं श्री मदन लाल गुर्जर (प्राईवेट व्यक्ति) का राजकीय सांवलिया जी चिकित्सालय चित्तौडगढ से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर आरोपीगणों को सुरक्षित पुनः ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित लेकर आये । समय : 03.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता श्री नेमीचन्द खटीक ए.एस.आई तथा श्री सुनिल कुमार कानि0 मय श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं श्री मदन लाल गुर्जर (प्राईवेट व्यक्ति) को वास्ते जे.सी. रिमाण्ड पेश करने मय केस डायरी के माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर के लिये रवाना हुआ । दिनांक 04.07.2023 समय 08.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय आरोपीगण श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं श्री मदन लाल गुर्जर (प्राईवेट व्यक्ति) व ब्यूरो जाप्ता श्री नेमीचन्द खटीक ए.एस.आई, श्री सुनिल कुमार कानि0 एवं श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री शेर सिंह कानि0 चालक के ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ रवाना शुदा उदयपुर पहुंचा जहां पर आरोपीगणों को नियमानुसार श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश महोदय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर में पेश किया जिस पर दोनो आरोपीगणों को माननीय न्यायालय द्वारा जे.सी. के आदेश प्रदान करने पर


दोनो आरोपीगणों को केन्द्रिय कारागृह उदयपुर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई ।

अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी, बस्सी द्वारा परिवादी श्री भगवान लाल कुमावत से उसके द्वारा जलाउ लकड़ी को खेतों एवं खातेदारी जमीनों से कचर परिवहन किया जा रहा था जिस पर उक्त परिवहन शुदा वाहन को दिनांक 25.05.2023 को रोकना तथा आरोपी श्री अब्दुल सलीम, क्षेत्रीय वन अधिकारी, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी बस्सी जिला चित्तौडगढ द्वारा परिवादी श्री भगवान लाल से स्वयं के लिये तथा उसके अधिनस्थ कर्मचारीयो को मनेज करने सहीत कुल 60000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई। तत्पश्चात दिनांक 03.07.2023 को परिवादी श्री भगवान लाल से श्री भरतराम मीणा वनरक्षक द्वारा भी मोबाईल पर 60,000 रुपये रिश्वत राशि स्वयं के लिये तथा आरोपी श्री अब्दुल सलीम के लिये रिश्वत राशि की मांग की गई। दिनांक 03.07.2023 को ही आरोपी श्री अब्दुल सलीम, क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा अपने पद एवं अधिकारो का दुरुपयोग कर अपनी मांग अनुसार परिवादी श्री भगवान लाल कुमावत से रिश्वत राशि 60000/-रुपये अपने कार्यालय की टेबल की दराज में रखवाना तथा अपने नौकर श्री मदनलाल गुर्जर से कार्यालय के टेबल में रखवाई हुई रिश्वत राशि 60,000/- रुपये को निकलवाकर अलग जगह रखवाई गई तथा एसीबी टीम के मौके पर पहुँचने पर आरोपी श्री मदनलाल गुर्जर द्वारा शंका होने से रिश्वत राशि को आरोपी श्री अब्दुल सलीम के क्वार्टर की छत से पीछे की तरफ निचे फैंक दिये, जहाँ से श्री मदनलाल गुर्जर की निशादेही से रिश्वत राशि 60,000/-रुपये बरामद की गई।

अतः आरोपीगण श्री अब्दुल सलीम पुत्र श्री अब्दुल कययूम कुरैशी उम्र 47 साल निवासी हाजी हाउस, घोसी मौहल्ला, अनन्तपुरा, पुलिस थाना अनन्तपुरा कोटा हाल क्षेत्रीय वन अधिकारी, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी बस्सी जिला चित्तौडगढ द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपने वैद्य परिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से अपने पद एवं अधिकारो का दुरुपयोग कर अपनी मांग अनुसार परिवादी श्री भगवान लाल कुमावत से रिश्वत राशि 60000/-रुपये अपने कार्यालय की टेबल की दराज में रखवाना तथा अपने नौकर श्री मदनलाल गुर्जर से कार्यालय के टेबल में रखवाई हुई रिश्वत राशि 60,000/- रुपये को निकलवाकर अलग जगह रखवाई गई तथा एसीबी टीम के मौके पर पहुँचने पर आरोपी श्री मदनलाल गुर्जर द्वारा शंका होने से रिश्वत राशि को आरोपी श्री अब्दुल सलीम के क्वार्टर की छत से पीछे की तरफ निचे फैंक दिये, जहाँ से श्री मदनलाल गुर्जर की निशादेही से रिश्वत राशि 60,000/-रुपये बरामद होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अभियुक्त श्री भरतराम मीणा द्वारा दिनांक 03.07.2023 समय 06:30 पीएम पर को परिवादी से मोबाईल पर वाट्सअप कालिंग वार्ता द्वारा स्वयं के लिये भी रिश्वत की मांग की गई तथा अपने अधिकारी के लिये भी रिश्वत की मांग कर परिवादी को रिश्वत राशि पुरे 60,000 रुपये लेकर क्षेत्रीय वन अधिकारी बस्सी जिला चित्तौडगढ बुलाया जो संबंधित फर्द ट्रांसकिप्ट से प्रमाणित हैं। अभियुक्त श्री भरतराम मीणा पुत्र श्री जमनालाल मीणा उम्र 35 साल ग्राम मीणों का कंधारिया पोस्ट-जालमपुरा तहसील व जिला चित्तौडगढ हाल वन रक्षक वनपाल नाका पारसोली वन चौकी महेशरा क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्य जीव बस्सी जिला चित्तौडगढ मौके से फरार है उक्त तिनो आरोपीगणों का कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 176, 179 एवं 201 आई.पी.सी. के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः आरोपीगण श्री अब्दुल सलीम पुत्र श्री अब्दुल कययूम कुरैशी उम्र 47 साल निवासी हाजी हाउस, घोसी मौहल्ला, अनन्तपुरा, पुलिस थाना अनन्तपुरा कोटा हाल क्षेत्रीय वन अधिकारी, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी बस्सी जिला चित्तौडगढ एवं श्री मदनलाल गुर्जर पुत्र श्री कालू लाल गुर्जर उम्र 24 वर्ष निवासी तोरणिया पुलिस थाना पारसोली, जिला चित्तौडगढ(प्राइवेट व्यक्ति) और श्री भरतराम मीणा पुत्र श्री जमनालाल मीणा उम्र 35 साल ग्राम मीणों का कंधारिया पोस्ट-जालमपुरा तहसील व जिला चित्तौडगढ हाल वन रक्षक वनपाल नाका पारसोली वन चौकी महेशरा क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्य जीव बस्सी जिला चित्तौडगढ के विरुद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान की सेवामे सादर प्रेषित है।

भवदीय


(आदर्श कुमार)

पुलिस निरीक्षक

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

एसयू उदयपुर।

हाल कैम्प

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

चित्तौडगढ

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आर्दश कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-उदयपुर हाल कैम्प भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ की प्राप्त हुई है। मजमून रिपोर्ट से आरोपीगण 1. श्री अब्दुल सलीम, क्षेत्रीय वन अधिकारी, बस्सी जिला चित्तौड़गढ़, 2. श्री भरतराम मीणा, वन रक्षक, वनपाल नाका पारसोली, वन चौकी महेशरा, क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन्य जीव बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 भादंसं में एवं 3. श्री मदनलाल गुर्जर पुत्र श्री कालू लाल गुर्जर, (प्राईवेट व्यक्ति) निवासी तोरणिया, पुलिस थाना पारसोली, जिला चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 201 भादंसं में घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 175/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(रणधीर सिंह)

उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 2216-20 दिनांक 05.07.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, वन्यजीव, चित्तौड़गढ़।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़।

उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।